

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ4(ई)अलेसे-III/103

दिनांक :- 31-01-2018

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों को उनके आवेदन के अनुसरण में स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में अग्रिम अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क. सं.	लिंक नं.	नाम क. लेखाकार (श्री/श्रीमती/सुश्री)	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	12523	दिव्या अरोड़ा	एम.ए. प्रथम वर्ष	एम.जी.एस.यू. बीकानेर	कार्यालय जिला परिषद, (आरडीसी) श्रीगंगानगर।
2	9819	मुकेश माली	एम.ए. प्रथम वर्ष	एम.जी.एस.यू. बीकानेर	एस.टी.ओ. बीदासर, चूरु
3	12145	मुकेश कुमार मीणा	एम.ए. अंतिम वर्ष (राजनीति विज्ञान)	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	वित्तीय सलाहकार पंचायत राज विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
4	12049	रतना राम	एम.कॉम. फाइनल ईयर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	तकनीकी शिक्षा निदेशालय राज. जोधपुर
5	12685	उमेश कुमार शर्मा	एम.कॉम. प्रथम वर्ष	राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय	उपकोष थानागाजी
6	10541	रश्मि माथुर	एम.कॉम. प्रथम वर्ष	शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर	कोष कार्यालय, सीकर
7	10441	राजेश कुमार चौधरी	एम.कॉम.	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	एल.एफ.ए.डी., जयपुर
8	12276	राम अवतार जिगोनिया	एम.कॉम.	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राज., जयपुर
9	12125	मनफूल मीणा	एम.ए.	—	सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
10	12356	लोकेश कुमार चान्दोलिया	एम.कॉम. प्रथम वर्ष	एम.जी.एस.यू. बीकानेर	निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ (आईईसी)
11	12904	नितिन कुमार	एम.ए. प्रिवियस ईयर	एम.जी.एस.यू. बीकानेर	गंगनहर ओएफडी, खण्ड-II, सि.क्षे. वि. श्रीगंगानगर
12	12219	मंजू देवी चौधरी	एम.ए.	एम.जी.एस.यू. बीकानेर	एस.एस.ए. मकराना
13	9874	नीतू सिंह मीना	एम.ए. प्रिवियस ईयर (इतिहास)	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	एस.टी.ओ. टोडाभीम, करौली
14	10456	नवीन शर्मा	एम.ए. प्रिवियस ईयर	राज. विश्वविद्यालय, जयपुर	पी.एच.ई.डी., खण्ड मालपुरा
15	9830	कानाराम	एम.कॉम. प्रथम वर्ष	एम.जी.एस.यू. बीकानेर	पी.एच.ई.डी., खण्ड रत्नगढ़
16	10428	युक्ति मेहता	एम.कॉम. फाइनल ईयर	मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय	कार्यालय तहसीलदार, गढ़ी बांसवाड़ा
17	11710	प्रहलाद यादव	एम.ए. (हिन्दी) प्रिवियस ईयर	राज. विश्वविद्यालय, जयपुर	निदेशक निरीक्षण विभाग, जयपुर

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों को उनके आवेदन के अनुसरण में परीक्षा में उपस्थित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क. सं.	लिंक नं.	नाम क. लेखाकार (श्री/श्रीमती/सुश्री)	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	11425	लोकेन्द्र कुमार जैन	RJS Exam -2017	—	वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा
2	12379	ममता मीणा	व्याख्याता (कॉलेज शिक्षा) साक्षात्कार	—	ग्रामीण विकास विभाग शासन सचिवालय, जयपुर

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्वधीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 आपका पदस्थापन मुख्यालय से परिवर्तित/ स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
- 3 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
- 4 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 5 उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 6 अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और अस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 7 अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 8 अध्ययन वर्ष में उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/ विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
- 9 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 10 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ4(ई)अलेसे-III/103

दिनांक :- 31.01.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित विभाग/ कार्यालय (तालिका के कॉलम 6 के अनुसार)।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)